संख्या– 1508 /38–9–08–13ब/06

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊ:दिनांक: 16 अक्टूबर, 2008

विषय :– महामाया आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1785/38–8–07–13ब/2006 दिनांक 10 सितम्बर 2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति/जनजाति के आवासविहीन पात्र परिवारों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु महामाया आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत लाभार्थियो के चयन के संबंध में शासनादेश के प्रस्तर–6 (क) में निर्देश हैं कि " ग्रामसभा स्तर पर लाभार्थियो का चयन बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के आधार पर यथासमय संशोधित तैयार की गयी स्थायी प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध सबसे निर्धन वर्गीकृत व्यक्ति/परिवार के कमानुसार किया जायेगा।"

2– शासन स्तर पर समीक्षा के कम में यह संज्ञान में आया है कि कुछ जनपदों की कतिपय ग्राम पंचायतो में अनुसूचित जाति/जनजाति की स्थायी प्रतीक्षा सूची संतृप्त हो गयी है लेकिन बी0पी0एल0 सूची 2002 में सूचीबद्ध आवासविहिन परिवार अभी भी योजना के लाभ से वंचित है। ऐसी स्थिति में उन जनपदों की ऐसी ग्राम पंचायतो में जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति की स्थायी प्रतीक्षा सूची संतृप्त हो गयी है उनमें महामाया आवास योजनान्तर्गत ***ग्राम पंचायत स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 सूची –2002 में सूचीबद्ध आवासविहीन सबसे निर्धन वर्गीकृत व्यक्ति/परिवार के कमानुसार किया जायेगा।***

3– यह आदेश शासनादेश संख्या–1785/38–8–07–13ब/2006 दिनांक 10 सितम्बर 2007 के साथ पठनीय होगा।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए योजना की शत–प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्या–1508 (1)/38–9–08 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1– प्रमुख सचिव डा0अम्बेडकर ग्रामसभा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– गार्ड बुक।

आज्ञा से

6/10/08

(अजय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।